Irregularities by Companies publishing Newspapers

3649. SHRI SUBHASH AHUJA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he has recently received any complaint regarding mismanagement of finances and other irregularities by certain companies publishing newspapers; and

(b) if so, what steps have been taken to prevent further irregularities by these companies?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Since April, 1977 complaints of the type referred to have been received in respect of the following companies:—

(1) M/s. The Printers (Mysore) Ltd.

2. M/s. Associated Jouranls Ltd.

3. M/s. Andhra Printers Ltd

4. M/s. Lok Prakashan Ltd.

(b) Books of accounts etc., of The Printers (Mysore) Ltd. have been inspected and further action is under examination. In respect of Associated Journals Ltd., and Andhra Printers Ltd., such inspection has been ordered and reports are awaited. The complaint in respect of Lok Prakashan Ltd. is under examination.

भिलाई से वाराणसी तक एक नई रेलगाड़ी चलाने की मांग

3650. **श्री मोहन धैय्या जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्हें भिलाई इस्पात कारखाने में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों और छत्तीस गढ़ की कार्मिक जनता के लिए भिलाई से वाराणसी के लिए एक नई रेलगाड़ी चलाने की मांग की जानकारी है;

(ख) क्या उपर्युक्त यात्रियों की कठिनाई समाप्त करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग). दुर्ग और वाराणसी के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने के लिए बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वाराणसी में पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं के अभाव और कुछ मार्गवर्ती स्टेशनों पर लाइन क्षमता की कमी के कारण ऐसी गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

रेल दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्ति

3651. **चौ० ब्रह्म प्रकाश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, अक्तूबर, 1977 की अवधि के दौरान देश में हुई विभिन्न रेल दुर्घटनाओं के कारण कुल कितने व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुए ;

(ख) ऐसे मृत लोगों की संख्या कितनी है, जिनके मामलों में मुआवजे का दावा नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी पहचान नहीं हो सकी थी ;

(ग) अप्रैल से अक्तूबर, 1977 तक की अवधि के दौरान रेलवे को कुल कितने दावे प्राप्त हुए और उनमें कितनी धनराशि का दावा किया गया ;

(घ) कितने दावों का अब तक भुगतान किया जा चुका है और कितने दावों के लिए भुगतान किया जाना है ; और

(ङ) बाकी दावों का कब तक निपटान होने की सम्भावना है और मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों तथा घायलों को कब तक भुगतान किए जाने की सम्भावना है ?